(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 38 / 2015–2020
दिनांकः– 22 नवंबर, 2021

विषयः वर्ष 2021–22 हेतु भारत–मॉरीशस सीईसीपीए के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आबंटन हेतु आवेदन।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत–मॉरीशस सीईसीपीए के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के अंतर्गत मदों के आयात हेतु प्रक्रिया के संबंध में सार्वजनिक सूचना सं. 23 / 2015–20 दिनांक 07 सितंबर, 2021, सं. 24 / 2015–20 दिनांक 17 सितंबर, 2021, तथा सं. 31 / 2015–20 दिनांक 28 अक्तूबर, 2021 के क्रम में, महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा **मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आयात प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदनों को आमंत्रित करने की अंतिम तिथि 31.12.2021 से बढ़ाकर 31.01.2022 करके सार्वजनिक सूचना सं. 31 / 2015–20 दिनांक 28 अक्तूबर, 2021 के परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक–III की शर्त (ii) (च) में संशोधन करते हैं जिसमें अन्य तौर–तरीके वही रहेंगे।**

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

मौजूदा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु भारत–मॉरीशस सीईसीपीए के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 31.12.2021 से बढाकर 31.01.2022 कर दिया गया है।

अमितयादव
22/11/2021
(अमित यादव)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01 / 93 / 180 / 63 / एएम–21 / पीसी–2 (ख) / ई–27749 से जारी)